

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक :- प.7 (38)परि/नियम/मु./2007/III/15212

जयपुर, दिनांक 26/08/2021

कार्यालय आदेश ...19.../2021

विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के संबंध में आदेश 31.03.2003 जारी किया गया था। आदेश के बिन्दु सं. 2 में आवेदक के पूर्व वाहन पर आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक को उसके नये वाहन पर आवंटित करने की प्रक्रिया विहित की गयी है। इसी बिन्दु के उप बिन्दु (3) में यह भी स्पष्ट कहा गया है 'जिस वाहन पर पुराना नंबर रिटेन किया जा रहा है, वो वाहन उस श्रेणी का हो, जिस श्रेणी में वाहन का पुराना नंबर था।' इस क्रम में वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत चारपहिया (गैर-परिवहन) श्रेणी, बैठक क्षमता के अनुसार वर्गीकृत न होने के कारण इस प्रकार के वाहनों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने के संबंध में दिनांक 04.06.2015 को कार्यालय आदेश 17/2015 जारी किया गया था। वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों में उक्त कार्यालय आदेश 17/2015 दिनांक 04.06.2015 को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) वाहनों के पंजीयन क्रमांक नये वाहन पर रिटेन करने हेतु निम्न आदेश जारी किये जाते हैं:-

“ऐसे पुराने चार पहिया (गैर-परिवहन) वाहन जो वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करते हैं, के पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने की स्थिति में रिटेन्शन आवेदन पर आवेदक द्वारा 5 बैठक क्षमता तक अथवा 5 बैठक क्षमता से अधिक के चार पहिया (गैर-परिवहन) यान दोनों में से किसी एक श्रेणी के वाहन पर स्वेच्छानुसार रिटेन किया जा सकता है। रिटेन्शन के प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. सर्वप्रथम 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) यान के पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन किया जायेगा।
2. इस रिटेन्शन के पश्चात् पंजीयन क्रमांक रहित हुये पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) यान पर वाहन की श्रेणी (बैठक क्षमता पांच तक या 5 बैठक क्षमता से अधिक) के अनुसार संबंधित श्रेणी की रनिंग सीरीज से नया नम्बर आवंटित किया जायेगा।”

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर-परिवहन) श्रेणी यानों के पंजीयन क्रमांक नये वाहन पर रिटेन करने हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे।

(महेन्द्र सोनी)

परिवहन आयुक्त एवं  
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :- प.7 (38)परि/नियम/मु./2007/III/LS213-20 जयपुर, दिनांक 26/08/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन हेतु।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
परिवहन आयुक्त एवं  
विशिष्ट शासन सचिव